प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा धौलपुर में पटवारी को 35 सौ रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

जयपुर, दिनांक 02.11.2020। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान की धौलपुर इकाई द्वारा लाल सिंह पटवारी हल्का बरैठा, शाहपुरा तहसील मनियां, धौलपुर को कुल 35 सौ रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी, आई.पी.एस. ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की धौलपुर इकाई के अति0 पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा को परिवादी श्री हरिओम द्वारा शिकायत दी गयी कि रजिस्ट्री दिनांक 07.07.2019 का दाखिला खारिज करने व नकल देने की एवज में पटवारी हल्का बरैठा, शाहपुरा तह. मनिया, जिला धौलपुर श्री लाल सिहं मीणा द्वारा 3500 सौ रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। जिस पर नियमानुसार रिश्वत की मांग का सत्यापन किया जाकर ए.सी.बी. टीम धौलपुर द्वारा जाल बिछाया जाकर **श्री लाल सिह मीणा** पुत्र श्री भंवर सिंह, नि0 खानपुर मीणा, बाड़ी जिला धौलपुर हाल पटवारी हल्का बरैठा, शाहपुरा तहसील मनियां, धौलपुर को **कुल 3500/– रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण में आरोपी से पूछताछ की जा रही है व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

ब्यूरो महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।